प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. - **प्रबन्ध निदेशक**, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. - **निदेशक,** विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0, गोमतीनगर, लखनऊ

ऊर्जा अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 23/01/2024**

विषय: फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट (एफ0डी0आई0) एवं फॉर्च्यून-500 कम्पनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 के प्रस्तर-16 के अनुसार नीति के प्रख्यापन से 05 वर्षों के भीतर क्रियाशील पात्र परियोजनाओं के विद्युत शुल्क में 05 वर्ष तक 100 प्रतिशत छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश क्रमांक-54/2023/3452/77-6-2023-2(एम)/2022, दिनांक 01.11.2023 द्वारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट (एफ0डी0आई0) एवं फॉर्च्यून-500 कम्पनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 का प्रख्यापन किया गया है।

2- उक्त नीति के प्रस्तर-16 में ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित प्राविधान है :

> **16. ''पात्र परियोजनाओं के इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 05 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।''**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-33 सन् 1952) की धारा-3 की उप-धारा (4) में निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश आकर्षित करने एवं प्रदेश को सर्वोत्तम निवेश गन्तव्य स्थापित करने के दृष्टिगत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट (एफ0डी0आई0) एवं फॉर्च्यून-500 कम्पनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 के प्रस्तर-16 के अनुसार नीति के प्रख्यापन से 05 वर्षों के भीतर क्रियाशील पात्र परियोजनाओं के विद्युत शुल्क में 05 वर्षो तक 100 प्रतिशत छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।